छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
सिविल संशोधन संख्या 111/2019

आरक्षित दिनांक–19.01.2021
घोषित दिनांक –20.01.2021

• भुवनलाल पिता–गणेश राम बिंद उम्र लगभग– 45 वर्ष

निवासी ग्राम–जावलपुर, तहसील–जांजगीर

जिला–जांजगीर चांपा (छ0ग0)

.....आवेदक

बनाम

1. राम कुमार पिता–बहादुर गौराहा उम्र–लगभग 54 वर्ष
2. दुर्गा प्रसाद पिता– बहादुर गौराहा उम्र– लगभग 49 वर्ष
3. चंद्रभूषण पिता–बहादुर गौराहा उम्र–लगभग 41 वर्ष
4. अरूण कुमार पिता–बहादुर गौराहा उम्र–लगभग 38 वर्ष
5. रामा पिता– बहादुर गौराहा उम्र–लगभग 60 वर्ष
6. क्षमा पिता–बहादुर गौराहा सभी निवासी–ग्राम जावलपुर तहसील–जांजगीर जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

.....अनावेदक/गण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

आवेदक :– श्री सोमनाथ वर्मा अधिवक्ता
अनावेदक/गणः– कोई नही।

.....

माननीय श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश
सी.ए.वी. आदेश

01. आवेदक ने सिविल न्यायाधीश वर्ग 01, अकलतरा,जिला–जांजगीर चांपा (छ0ग0) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 10–ए/2001 में पारित आदेश दिनांक–24.09.2019 के विरूद्ध तत्काल सिविल रिवीजन प्रस्तुत किया जिसके तहत् उन्होंने नया वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया था।

02. आवेदक ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए 26.09.2001 को एक

सिविल मुकदमा दायर किया था। मामले को प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए तय किया गया था। आवेदक ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीपीसी' के आदेश 23 नियम 1 के तहत् एक आवेदन दायर किया था, जिसमें नया सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस लेने के लिए इस आधार पर आवेदन किया गया था कि औपचारिक दोष और पक्षों के गैर–जुड़ने के कारण, मुकदमा विफल होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने 24.09.2019 को उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। इस आधार पर कि पक्षों का एक साथ न आना औपचारिक दोष की श्रेणी में नहीं आता है, आवेदक को नया वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने की अनुमति देने के लिए कोई अन्य पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है।

03. व्यथित होकर आवेदक ने तत्काल पुनरीक्षण का अनुरोध किया।

04. संक्षेप में, पुनरीक्षण के संबंध में आवेदक का मामला यह है कि विवादित आदेश कानून के विरूद्ध है, पक्षों का एक साथ न आना अपने आप में एक औपचारिक दोष है। वादपत्र में दोषपूर्ण प्रारूपण था इसलिए, तत्काल पुनरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. उचित न्यायनिर्णयन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता(संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 115 के प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार हैः–

" 115. पुनरीक्षण (1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जो ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चत किया गया हो और जिसमें कोई अपील नहीं हो सकती, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय–

(क) किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया हो जो कानून द्वारा उसमें निहित न हो,

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल होना,

(ग) अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या अवैधानिक रूप से किया हो,

उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझेः

बशर्ते कि उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान पारित किसी आदेश या किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी

आदेश में परिवर्तन नहीं करेगा या उसे उलटेगा नहीं, सिवाय इसके कि यदि आदेश पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में दिया गया होता तो उसने वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया होता।

(2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी डिक्री या आदेश में परिवर्तन नहीं करेगा या उसे उलट नहीं देगा जिसके विरूद्ध उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(3) पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई हो।

स्पष्टीकरण– इस खंड में अभिव्यक्ति ''किसी भी मामले का निर्णय लिया गया है'' में कोई भी आदेश दिया गया है या किसी भी आदेश को एक मुद्दे या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी भी मुद्दे का निर्णय लेना शामिल है।

06. आदेश 23 नियम के प्रावधानों का उल्लेख करना उल्लेखनीय होगा सी0पी0सी0 की धारा 1(3)इस प्रकार हैः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''आदेश XXIII-1.मुकदमे की वापसी या मुकदमे के भाग का परित्याग दावा करना–

(1) XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX

(3) जहां न्यायालय का समाधान हो जाए कि,–

(क) कि कोई वाद किसी औपचारिक दोष के कारण असफल हो जाए,

(ख) वादी को किसी दावे की विषय–वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार है वह ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद या दावे के ऐसे भाग से हटने की अनुमति दे सकेगा, साथ ही उसे ऐसे वाद की विषय–वस्तु दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता भी दे सकेगा।

07. विनोद कुमार गुप्ता बनाम रामा देवी शिवहरे व अन्य 2008 (1) एमपीएचटी 83 के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए हैः

न्यायिक मिसालः–

''न्यायालय सी0पी0सी0 के आदेश 23 नियम 1(3) के तहत् मुकदमा दायर करने के बाद किसी भी समय मुकदमा वापस लेने या दावे के किसी हिस्से को छोड़ने की अनुमति दे सकता है। मुकदमा किसी औपचारिक दोष के अंतर्गत आना चाहिए या वादी को मुकदमे की विषय–वस्तु या दावे के हिस्से के लिए नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए। सी0पी0सी0 के आदेश 23 नियम 1(3) के तहत् अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए पक्षों के गैर–संयोजन के आधार को औपचारिक दोष नहीं माना जा सकता है।''

08. आवेदक यह दिखाने में विफल रहा है कि कथित तौर पर मुकदमे के प्रारूपण में क्या खामियां थी, जिसके कारण मुकदमा विफल हो गया। वह यह भी दिखाने में विफल रहा कि मुकदमे में कौन से पक्ष शामिल नहीं थे। इसके अलावा, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त न्यायिक मिसाल को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि पक्षों का न जुड़ना सीपीसी के आदेश 23 नियम 1(3) में उल्लिखित 'औपचारिक दोष' शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरे शब्दों में,पक्षों का न जुड़ना सीपीसी के आदेश 23 नियम 1(3)में निहित 'औपचारिक दोष' शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा, आवेदक को उक्त अनुमति देने के लिए कोई अन्य पर्याप्त आधार नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09. इन परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आवेदक के उक्त आवेदन को खारिज करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट ने उक्त आदेश पारित करते समय अवैधता या भौतिक अनियमितता की थी।

10. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायालय पाता है कि तत्काल पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप, तत्काल पुनरीक्षण को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है और प्रस्ताव सुनवाई चरण में खारिज कर दिया जाता है।

सही/–
शरद कुमार गुप्ता
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur